न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

अध्यक्षता – *ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस*

राजस्व प्रथम अपील संख्या 30ए/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मोहन लाल पुत्र श्री पुखराज 2. जेठाराम पुत्र श्री पुखराज (फौत) के कायम मुकाम 2/1 श्रीमती छगनी देवी पत्नी स्व0 जेठाराम 2/2 भगवती प्रसाद पुत्र स्व जेठाराम 2/3 लक्ष्मण पुत्र स्व. जेठाराम 2/4 अमुतलाल पुत्र स्व. जेठाराम 2/5 अनिता पुत्री स्व. जेठाराम 3. मिश्रीलाल पुत्र श्री पुखराज सभी जातियान, नाई, निवासीगण रोहट, तहसील रोहटा, जिला पाली		1. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी किस्तुरराम, उम्र 70 वर्ष, जाति नाई, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 2. श्रीमती मूलीदेवी पत्नी श्री वेलाराम, जाति नाई, निवासी शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। 3. राजस्थान सरकार राज्य जरिये तहसीलदार, रोहट, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 13.2.2014 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/11 मे जिला कलेक्टर, पाली द्वारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर पारित किया गया ।

उपस्थिति :–

1. श्री बुद्धाराम चौधरी, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. श्री मानाराम पटेल,रेस्पोडेन्टस 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांकः 23.10.2018

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नामान्तरकरण संख्या 1089 के विरूद्ध एक राजस्व अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रोहट के खसरा संख्या 407,796, 642/3 कुल रकबा 54 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता पुखराज के हिस्से की खातेदारी भूमि थी। पुखराज की मृत्यु के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1089 दिनांक 20.11.1978 केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम ही स्वीकृत किया गया जबकि अपीलान्ट भी मृतक पुखराज की जायन्दा पुत्री है। नामान्तरकरण धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार भरा जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.2.2014 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1089 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, रोहट को सभी उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करने का आदेश दिया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने उपस्थित अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट–1 के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक और तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने 33 वर्ष पश्चात बिना विलम्ब को मण्डोन किये अपील स्वीकार कर दी। पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित भूमि बाबत एक राजस्व वाद भी लम्बित चल रहा है, उक्त तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया। रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त भूमि का अपने काश्त के अनुसार बंटवाडा भी करवा लिया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिस निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावे।

उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नामान्तरकरण संख्या 1089 के विरूद्ध एक राजस्व अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रोहट के खसरा संख्या 407,796, 642/3 कुल रकबा

54 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता पुखराज के हिस्से की खातेदारी भूमि थी। पुखराज की मृत्यु के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1089 दिनांक 20.11. 1978 केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम ही स्वीकृत किया गया जबकि अपीलान्ट भी मृतक पुखराज की जायन्दा पुत्री है। नामान्तरकरण धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार भरा जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.2.2014 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1089 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, रोहट को सभी उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह न्यायोचित होने से उसे यथावत रखा जावे।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का प्रथम तर्क है कि विवाहित पुत्री का पिता की पैतृक सम्पत्ति मे कोई अधिकार नही होता है। उन्होने अपने इस तर्क के समर्थन मे निर्णय नजीर 2011 (2)आरआर पेज 765 व 2006 (2)आरआटी 1085 प्रस्तुत किये है। ये दोनों दृष्टान्त अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होने के सबंध मे है, जबकि वर्तमान प्रकरण मे पक्षकार अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति नही है। दोनो ही दृष्टांत पैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध मे है तथा पत्रावली पर इस संबंध मे कोई साक्ष्य नही है कि यह भूमि पैतृक सम्पत्ति है। प्रकरण मे पुत्री होने के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वारिसों की पुनः जांच कर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार, रोहट को रिमाण्ड किया है। तहसीलदार द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करना है। अपीलान्ट अपने समस्त साक्ष्य व विधिक स्थिति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। केवल उपरोक्त आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त करना उचित प्रतीत नही होता है।

विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि सक्षम न्यायालय मे वाद लम्बित होने के कारण नामान्तरकरण जैसी संक्षिप्त कार्यवाही नही चलनी चाहिए। अपीलान्ट इस बिन्दु को भी तहसीलदार के समक्ष उठा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता का तृतीय आपत्ति है कि प्रथम अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 33 वर्ष बाद पुस्तुत की गई थी। इस समयावधि मे मानने मे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भारी भूल की है। प्रथम अपील न्यायालय ने अपने निर्णय मे देरी को कण्डोन करने के सम्बन्ध मे विस्तार से विचारण किया है। प्रथम अपीलय न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व प्राकृतिक वारिसों को सूचना नही देना एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 मे वर्णित वारिसों को उनके अधिकार से वंचित करने को देरी कण्डोन करने का आधार बनाया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने देरी को कन्डोन करने के जो आधार बताये है वे उचित प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति मे इस आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को गलत नही ठहराया जा सकता है।

: अत उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती हैं तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.2.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर